उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या-8/2015/167ज0सू0/33-2-15-09ज0सू0/2015

लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शुल्क के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1101/33-2-06-36जी/2006, दिनांक 27.04.2006 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-5835/33-2-06-36जी/2006, दिनांक 31.01.2007 जारी किया गया था। चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शुल्क के संबंध में प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-993/43-2-2005, दिनांक 19.10.2005 द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है। अत: पंचायतीराज विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.04.2006 एवं 31.01.2007 का कोई औचित्य न होने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- जनपद स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित जनपद के जनसूचना अधिकारी यथावत बने रहेंगे।

चंचल कुमार तिवारी

प्रमुख सचिव।

संख्या- 8/2015/167ज0सू0(1)/33-2-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ।

4- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

5- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार मौर्य)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।